BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SHYAMLATA ………APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS …. RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE BY RESPONDENT NO. 4- DISTRICT MAGISTRATE, VARANASI, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE M.O.M. DATED 15.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 16.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 21.05.2026

Place: NOIDA

NOTARIAL NOTARIAL

10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

NOTARY S. PATHAK GOVT. OF INDIA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

S. No. 275
DATE 28/5/26
NOTARY INDIA

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SHYAMLATA ....**APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS .... **RESPONDENT(S)**

RESPONSE BY RESPONDENT NO. 4- DISTRICT MAGISTRATE, VARANASI, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, **Satyendra Kumar**, aged about **38** years, S/o Shri **Radhe Raman Jha**, posted as District Magistrate, Varanasi, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No.-13472/2017
INDIA

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. In the present Original Application, the applicant has raised grievance that her son had died on account of slitting of his throat by Chinese Manjha on **31.12.2024**. Applicant has further alleged that the State authorities failed to effectively enforce the complete ban on the manufacture, sale, and use of Chinese/Nylon Manjha imposed by the Hon'ble National Green Tribunal in **O.A. No. 384/2016**, ***Khalid Ashraf & Anr. vs. Union of India & Ors.***, vide order dated **11.07.2017**.

REPLY IS AS FOLLOWS

4. That, the deponent in the **Reply Affidavit dated 15.02.2026** had previously submitted that, for compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent vide Letter No. **1292/Kshatipurti/2025-26** dated **14.02.2026** addressed to the Secretary, District Legal Services Authority, District Court, Varanasi, had forwarded the matter for consideration of compensation to Smt. Shyamalata, mother/dependent of late Shri Vivek Sharma, who died in an accident involving Chinese/synthetic manjha, under the provisions of the

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme as notified/amended by the Government of Uttar Pradesh, Home (Police) Section-9 vide Notification No. **210/Chha-Pu-15-2016** dated **07.06.2016** (***kindly refer to Para 5 at judicial page nos. 339–340***).

5. That, in furtherance of the above, it is most respectfully submitted that a meeting of the Victim Compensation Committee constituted under the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme was convened on **15.05.2026** under the chairmanship of the learned District Judge. During the said meeting, the status of the case, reports received from the concerned authorities and the claim for compensation preferred by Smt. Shyamalata were considered and deliberated upon by the Committee. It was further observed that, in terms of the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, the maximum compensation payable to the family of a deceased earning member is **Rs. 2,00,000/-**. However, considering that the criminal case is presently pending at the stage of evidence and final adjudication is yet to take place, the Committee unanimously recommended grant of **interim compensation of Rs. 1,00,000/-** to Smt. Shyamalata and decided to forward the proposal to the Uttar Pradesh State Legal Services Authority for allocation of funds and necessary action. A copy of the M.O.M. dated 15.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No. 13472/2017
GOVT OF INDIA

6. That, further, Secretary, DLSA, Varanasi vide demand letter no. **973/DLSAV/2026-27** dated **16.05.2026** has requested the Member Secretary, Uttar Pradesh State Legal Services Authority for allocation of interim compensation of Rs. 1,00,000/- to Smt. Shyamalata.

   A copy of letter dated 16.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

7. That the deponent, in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, is filing the present affidavit and remains duty-bound to ensure compliance with the directions in their true letter and spirit.

8. Hence, this brief reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

9. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No. 13472/2017 OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 21 day of May 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No.-13472/2017
GOVT. OF INDIA

Sworn Before Me & Solemnly Affirm Signature and Contents Verified Today.

S. PATHAK Advocate
NOTARY GOVT. OF INDIA
Varanasi
Reg. No. 13472/2017

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी।

उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 के अन्तर्गत गठित क्षतिपूर्ति समिति की बैठक दिनांक–15.05.2026 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संसोधित अधिसूचना संख्या यू0ओ026/6–पु0–9–16–जी0आई0–204/15–पु0–15, लखनऊ, दिनांक 07.06.2016 के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र में क्षतिपूर्ति का निर्धारण किये जाने हेतु आज दिनांक 15.05.2026 को पीड़ित क्षतिपूर्ति समिति की बैठक जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, पीड़ित क्षतिपूर्ति समिति, श्री संजीव शुक्ला की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में समिति के सदस्यगण जिलाधिकारी वाराणसी–श्री सत्येन्द्र कुमार, पुलिस आयुक्त–श्री मोहित अग्रवाल तथा मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 राजेश कुमार उपस्थित आये।

समिति के समक्ष आवेदिका श्यामलता पत्नी राजेश शर्मा, निवासिनी–सी 1 ए, कोनिया, थाना–चेतगंज, जिला–वाराणसी का प्रार्थना पत्र जरिये जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी, प्रस्तुत किया गया। यह क्षतिपूर्ति प्रार्थना पत्र सरकार बनाम आजम व अन्य, मु0अ0सं0–05/2025 अंतर्गत धारा–285,109(2),105 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, थाना–चेतगंज, वाराणसी, उ0प्र0 पीड़िता क्षतिपूर्ति योजना 2014 के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

क्षतिपूर्ति समिति द्वारा प्रार्थिनी श्यामलता पत्नी राजेश शर्मा के क्षतिपूर्ति प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी के पत्रांक 1292/क्षतिपूर्ति/2025–26 दिनांक 14.02.2026 द्वारा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र प्रेषित कर यह अवगत कराया गया है कि विवेक शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा, निवासी–ए 38/42 सी 1 ए, कोनिया, वाराणसी दिनांक 31.12.2024 को अपनी मॉं श्यामलता के साथ बाइक पर चौकाघाट–लहरतारा फलाईओवर की ओर जा रहे थे। उक्त दौरान चौकाघाट ओवरब्रिज पर चढ़ने के पश्चात् चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनकी गर्दन पर अत्यंत गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान घायल व्यक्ति विवेक शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 002, दिनांक 07.01.2025 को पुलिस थाना–चेतगंज, काशी जोन, कमिश्नरेट, वाराणसी में दाखिल करते हुए दोषियों के विरूद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की 15, 5 एवं भारतीय न्याय संहिता(बी0एन0एस0) 2023 की 105,110 एवं 285 धाराएं आरोपित की गयी। "स्वर्गीय विवेक शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा, निवासी–ए 38/42 सी 1 ए, कोनिया, वाराणसी को compensation दिलाये जाने हेतु श्रीमती श्यामलता द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष Original Application No. 179/2025 "Shyamlata Vs Union Of India & Ors. दाखिल की गई है, जिसके अनुसार स्वर्गीय विवेक शर्मा घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे, जिसके सम्बन्ध में स्वप्रमाणित लिखित बयान भी दिया गया है, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

दौरान मीटिंग जिलाधिकारी द्वारा एन0जी0टी0 के समक्ष लंबित याचिका Original Application No. 179/2025 "Shyamlata Vs Union Of India & Ors. में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2025 को उद्धृत करते हुए आदेश की प्रस्तर संख्या 05 व 06 का जिक्र किया गया, जिसमें एन0जी0टी0 द्वारा पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु उठाये गये कदमों के विषय में शपथ पत्र मांगा गया है।(आदेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है)

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन गृह(पुलिस) अनुभाग–9, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 210/छः–पु0–15–2016 दिनांक 07.06.2016 के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के कमांक 05 के अंतर्गत स्व0 विवेक शर्मा की मृत्यु के दृष्टिगत उनकी माता श्रीमती श्यामलता को पीड़ित क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

दौरान मीटिंग लंबित मुकदमा की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गयी। संबंधित न्यायालय की अद्यतन आख्यानुसार पत्रावली साक्ष्य के स्तर पर लंबित है, जिसमें अगली तिथि 23.05.2026 नियत है। प्रार्थिनी के क्षतिपूर्ति प्रार्थना के संदर्भ में डी0पी0ओ0 कार्यालय से आख्या प्राप्त है कि पीड़िता को किसी योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गयी है। पत्रावली पर संलग्न थाना–चेतगंज की आख्यानुसार वादिनी श्रीमती श्यामलता की पता एवं सकूनत तस्दीक की जा चुकी है।

क्षतिपूर्ति समिति द्वारा प्रार्थना पत्र तथा घटित उपरोक्त घटना की परिस्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के कमांक 05 के अन्तर्गत मृत्यु(कमाने वाले सदस्य) के परिवार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 200000.00 मात्र (रू0 दो लाख मात्र) है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रस्तुत प्रकरण में दाण्डिक वाद साक्ष्य के स्तर पर लंबित है तथा उसका अंतिम निस्तारण होना शेष है। अतः इस स्तर पर अंतरिम क्षतिपूर्ति धनराशि के रूप में रू0 100000.00 मात्र (रू0 एक लाख मात्र) रूपये पीड़िता(श्यामलता) को प्रदान किये जाने की समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति की जाती है।

उपरोक्त संस्तुति की एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली पर रखी जाय तथा एक प्रति सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 4/7 गोमती नगर विस्तार, लखनऊ को अनुदान आवंटित करने एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय।

मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी	पुलिस आयुक्त वाराणसी	जिलाधिकारी वाराणसी	जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष पीड़ित क्षतिपूर्ति समिति, वाराणसी

Annexure-2

प्रेषक,

राजीव मुकुल पाण्डेय,
पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
वाराणसी।

सेवा में,

माननीय सदस्य सचिव
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
4/7, गोमती नगर, विस्तार,
लखनऊ।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
वाराणसी।

पत्रांक 973/XV जि0वि0से0प्रा0वा0/2026–27 दिनांक– 16 मई, 2026

विषयः–उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 यथा संसोधित के कियान्वयन के सम्बन्ध में गठित क्षतिपूर्ति समिति की बैठक दिनांक 15.05.2026 में निस्तारण प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में की गई संस्तुति की क्षतिपूर्ति धनराशि दिलाये जाने हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विनम्र निवेदन करना है कि उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 यथा संसोधित के कियान्वयन के सम्बन्ध में गठित क्षतिपूर्ति समिति की बैठक दिनांक 15.05.2026 को सम्पन्न हुई, जिसमें **पीड़िता श्रीमती श्यामलता पत्नी राजेश शर्मा, निवासिनी–सी 1 ए, कोनिया, थाना–चेतगंज, जिला–वाराणसी उ0प्र0,** मु0अ0सं0 05/2025, अन्तर्गत धारा–285,109(2),105 बी0एन0एस0 व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, थाना–चेतगंज, जिला–वाराणसी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पीड़िता क्षतिपूर्ति समिति द्वारा क्षतिपूर्ति मु0 रू0–1,00,000.00(एक लाख मात्र) रूपये दिलाये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 यथा संसोधित के आलोक में पीड़ित क्षतिपूर्ति समिति वाराणसी द्वारा दिनांक 15.05.2026 को संस्तुति की गई क्षतिपूर्ति की धनराशि मु0 रू0–1,00,000.00(एक लाख मात्र) का बजट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के पक्ष में आवंटित करने की कृपा करें। जिससे पीड़िता/आवेदिका को नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिलाई जा सके।

सादर।

भवदीय,

दिनांकः–15.05.2026

(राजीव मुकुल पाण्डेय)
पूर्णकालिक सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
वाराणसी।

संलग्नकः–पीड़ित क्षतिपूर्ति समिमि वाराणसी की बैठक दिनांक 15.05.2026 के कार्यवृत्त की छायाप्रति।

Office of the District Judge Varanasi
No... 973/XV 16/05/2026
Forwarded

District Judge
Varanasi